न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 206/2018

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. देवीलाल पुत्र रामदयाल जाति–ब्राह्म्ण, निवासी–खराड़ी, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 2. दिनेशकुमार पुत्र तुलछीराम 3. प्रेमप्रकाश पुत्र तुलछीराम 4. घनश्याम पुत्र तुलछीराम 5. आयचुकी पत्नि तुलछीराम जातियान ब्राहम्ण निवासीगण खराड़ी तहसील जैतरण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.01/08/2018

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/01/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–खराड़ी में वादी व अन्य खातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 02–02 बीघा, खसरा नम्बर 574 रकबा 00–10 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 21–08 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबंदी साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व उसके भाई शंकरलाल के वारिसान का हिस्सा 1/8 था तथा तुलसीराम का हिस्सा भी 1/8 था, शेष 3/4 हिस्सा मांगीलाल वल्द पुसाराम का था। जबकि जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में वादी देवीलाल व शंकरलाल पिसरान रामदयाल का 1/6 हिस्सा तथा तुलसीराम वल्द रामकरण का 1/6 हिस्सा गलत रुप से अंकित कर दिया क्योकि जब मांगीलाल वल्द पुसाराम का 3/4 हिस्सा है तो शेष वादी व उसके भाई तथा तुलसीराम का 1/8, 1/8 हिस्सा होना चाहिए नकल जमाबंदी साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में मांगीलाल वल्द पुसाराम का 3/4 हिस्सा है वादी व उसके भाई शंकरलाल ने संवत् 2021–22 के दौरान खरीदकर लिया, इसलिए वादी व उसके भाई शंकरलाल का हिस्सा 1/8 व 3/4 खरीदा हुआ होना चाहिए शेष 1/8 हिस्सा तुलसीराम के वारिसान का अंकित होना चाहिए परन्तु म्यूटेशन नम्बर 354 जो पारित किया गया उसमें पूर्व में जो हिस्से थे उनका खुलासा नही करके सभी का शामलाति नाम अंकित कर दिया नकल जमाबंदी के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व अन्य खातेदारान का नाम चला आया तथा संवत् 2074 से 2077 में इनके हिस्से का खुलासा किया गया जो गलत रुप से किया गया। जबकि सही हिस्से इस प्रकार होने चाहिए कि तुलसीराम के वारिसान अर्थात प्रेमप्रकाश, घनश्याम, दिनेश पिता तुलसीराम आयचुकी पत्नी तुलसीराम का 1/8 हिस्सा इन्द्राज किया जावे शेष जो जमीन है उस में वादी देवीलाल व शंकरलाल के वारिसान का नाम इन्द्राज किया जावे। इस हेतु यह घोषणा का वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20/04/2018 को वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष हिस्से दुरुस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी द्वारा इंकार होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का हिस्सा दुरुस्त करने बाबत् में पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब दावा मय पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट पेश किया। सामिल मिसल है। जवाब दावा मय पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम खराड़ी की जमाबन्दी संवत् 2017–2020 तक में खसरा नंबर 573, 574, 575 रकबा 24.00 बीघा में मांगीलाल वल्द फुसाराम 3/4 हिस्सा एवं शंकरलाल देवीलाल पि० रामदयाल 1/6 तुलसीराम वल्द रामकरण 1/6 हिस्सा दर्ज है। मांगीलाल का 3/4 हिस्सा शंकरलाल देवीलाल का 1/6 हिस्सा व तुलछीराम का 1/6 कुल हिस्सा 13/12 हिस्सा हो जाता है। अतः हिस्से गलत दर्ज है। प्रार्थी देवीलाल ने शंकरलाल देवीलाल पि० रामदयाल का 1/8 हिस्सा होना

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बताया। इसी प्रकार तुलसीराम का भी 1/8 हिस्सा बताया। जमाबंदी संवत 2017-2020 में मांगीलाल पुत्र फुसाराम का 3/4 व शंकरलाल देवीलाल पि0 रामदयाल का 1/8 हिस्सा व तुलसीराम पुत्र रामकरण का हिस्सा 1/8 होना चाहिये। अतः इसी अनुसार हिस्से रेकर्ड में दर्ज करना प्रस्तावित है। पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 18.11.2074 द्वारा मांगीलाल वल्द फुसाराम ने अपना 3/4 हिस्सा शंकरलाल देवीलाल पि0 रामदयाल को बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 354 भरा गया। जिसमें हिस्से हटाकर सम्पूर्ण खाता शंकरलाल देवीलाल पि0 रामदयाल, तुलसीराम पुत्र रामकरण के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि शंकरलाल देवीलाल का 3/4 + 1/8 = 7/8 हिस्सा एवं तुलसीराम पुत्र रामकरण का 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था। जमाबन्दी संवत 2070-73 के अनुसार शंकरलाल फौत व हकतर्क के जरिये शंकरलाल के हिस्से में कैलाशचन्द 2/5 हिस्सा रामेश्वरप्रसाद 2/5 शंकरलाल व गीतादेवी पत्नि शंकरलाल 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया। तुलसीराम फौत के स्थान पर दिनेश कुमार प्रेमप्रकाश घनश्याम पि0 तुलसीराम आयचुकी पत्नि तुलसीराम नाम दर्ज किये गये है। नयी जमाबन्दी संवत 2074-2077 में रामदयाल, शंकरलाल, तुलसीराम का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानते हुए रामदयाल 1/3 हिस्सा शंकरलाल के वारिस (कैलाशचन्द्र 2/15, रामेश्वर प्रसाद 2/15 गीतादेवी) = 1/3 हिस्सा व तुलसीराम के वारिस दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, घनश्याम पि0 तुलसीराम, आयचुकी पत्नि तुलसीराम 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि देवीलाल पुत्र रामदयाल का 7/16 हिस्सा (कैलाशचन्द्र 2/5 हिस्सा, रामेश्वरप्रसाद 2/5 हिस्सा पि0 शंकरलाल, गीतादेवी पत्नि शंकरलाल 1/5 हिस्सा) 7/16 हिस्सा एवं दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, धनश्याम पि0 तुलसीराम आयचुकी पत्नि तुलसीराम 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था।

ग्राम खराड़ी तहसील- जैतारण की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 242 खसरा नंबर 573, 574, 575 कुल रकबा 24.00 बीघा में वर्तमान खातेदार देवीलाल पुत्र रामदयाल 1/3 हिस्सा, कैलाशचन्द्र 2/15 हिस्सा, रामेश्वरप्रसाद 2/15 हिस्सा पि0 शंकरलाल, गीतादेवी पत्नि शंकरलाल 1/15 हिस्सा, दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, धनश्याम पि0 तुलसीराम, आयचुकी पत्नि तुलसीराम 1/3 कौम ब्राहाम्ण के स्थान पर

देवीलाल पुत्र रामदयाल = 7/16 हिस्सा

कैलाशचन्द पि0 शंकरलाल - 2/5 ⎤
रामेश्वरलाल पि0 शंकरलाल - 2/5 ⎥ 7/16 हिस्सा
गीतादेवी पत्नि शंकरलाल - 1/5 ⎦

दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, घनश्याम पि0 तुलसीराम ⎤
आयचुकी पत्नि तुलसीराम ⎦ 1/8 हिस्सा

जाति- ब्राहाम्ण दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। इस वाद पत्र में सहखातेदार को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाकर तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 5 की और से वकालतनामा पेश हुआ। वादी मय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता प्रतिवादी 2, 3 एवं 5 तथा प्रतिवादी संख्या 04 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा में जाहिर किया कि वाद में तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट माफिक वाद डिक्री कर दिया जावें हम पक्षकार सहमत हैं। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया।

पत्रावली पत्र दस्तावेजात एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा राजीनामा का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी में पंजियन दस्तावेजात का नामान्तरकरण भरा गया उसमें हिस्से हटाकर सम्पूर्ण खाता शंकरलाल देवीलाल पि0 रामदयाल, तुलसीराम पि0 रामकरण के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना हैं। बहस वकील वादी पर गौर किया गया। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझतें हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी में वादी व अन्य खातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 02-02 बीघा, खसरा नम्बर 574 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

575 रकबा 21-08 बीघा भूमि के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 242 खसरा नंबर 573, 574, 575 कुल रकबा 24.00 बीघा में वर्तमान खातेदार देवीलाल पुत्र रामदयाल 1/3 हिस्सा, कैलाशचन्द्र 2/15 हिस्सा, रामेश्वरप्रसाद 2/15 हिस्सा पि0 शंकरलाल, गीतादेवी पत्नि शंकरलाल 1/15 हिस्सा, दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, घनश्याम पि0 तुलसीराम, आयचुकी पत्नि तुलसीराम 1/3 कौम ब्राहाम्ण के स्थान पर देवीलाल पुत्र रामदयाल का 7/16 हिस्सा (कैलाशचन्द्र 2/5 हिस्सा, रामेश्वरप्रसाद 2/5 हिस्सा पि0 शंकरलाल, गीतादेवी पत्नि शंकरलाल 1/5 हिस्सा) 7/16 हिस्सा एवं दिनेशकुमार, प्रेमप्रकाश, घनश्याम पि0 तुलसीराम आयचुकी पत्नि तुलसीराम 1/8 हिस्सा दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **28/01/2019** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)